

राजस्थान सरकार  
राजस्व गुप्त-६। विभाग

समस्त जिला कलेक्टर  
राजस्थान।

परिपत्र

क्रमांक-१०१८। राज-६/२००१। /१८

जगदुर, दिनांक:- ०१. ११. ०४

**विषय:-** सभी प्रकार की सड़कों के किलारे खाली भूमि पर किस प्रकार का नियम कितनी दूरी पर किये जाने हेतु अनुमति के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंचयक परिपत्र दिनांक-६. ७. ०४ के संबंध में कुछ जिला कलेक्टर हारा यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि इण्डियन रोड कारेस के १९७८ के दिशा निर्देश लागू होने या १९८३ के निर्देश लागू होंगे । इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि भूमि के कन्वेन आदेश जारी कर्त्तव्य समय इण्डियन रोड कारेस के जो दिशा निर्देश प्रकार में होंगे वह ही उस समय लागू होंगे व भविष्य में जब कभी भी उनके दिशा निर्देश बदलेंगे तो बंदलने के समय से वे लागू होंगे ।

उपरांकन संचिव